क्रम संख्या–7

संख्या 2503/43-2—2000-14-2(24)-97

प्रेषक,

योगेन्द्र नारायण,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

माननीय अध्यक्ष/सदस्यगण
राजस्व परिषद उ०प्र०/समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

लखनऊः दिनांक 26 सितम्बर, 2000

विषयः–प्रदेश के विभाग द्वारा बनाये गये नागरिक चार्टर का प्रचार-प्रसार करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रशासनिक सुधार अनुभाग–2

प्रभावी एवं संवेदनशील सरकार के लिए कार्य योजना तैयार करने के सम्बन्ध में मई, 1997 में नई दिल्ली में मा० मुख्यमंत्रियों के हुए सम्मेलन में यह अपेक्षा की गयी है कि जनसाधारण से सम्बन्धित विभागों/कार्यालयों के नागरिक चार्ट्स तैयार कराये जायें, ये नागरिक चार्टर सेवा का मानक एवं समयावधि इंगित करेगा जिसे जनसामान्य साधारणतया आशा करता है। इस प्ररिप्रेक्ष्य में शासन के निम्न विभागों द्वारा नागरिक चार्टर तैयार कराया गया है :–

1—खाद्य एवं आपूर्ति विभाग।

2—आवास विभाग।

3—ऊर्जा विभाग।

4—पंचायतीराज विभाग।

5—चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।

6—परिवहन विभाग।

7—नगर विकास विभाग।

8—लोक निर्माण विभाग।

9—राज्य सम्पत्ति विभाग।

10—राजस्व विभाग।

11—वन विभाग।

12—सिंचाई विभाग।

13—कृषि विभाग।

14—ग्राम्य विकास विभाग।

15—भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग।

16—पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।

17—गृह विभाग।

18—कर एवं निबन्धन विभाग।

नागरिक चार्टर में सार्वजनिक एजेंसियों और स्थानीय निकायों के मानक कार्य निष्पादन को व्यापक रूप से प्रसारित करना, सेवा की सुनिश्चित गुणवत्ता, सूचना की आसानी से उपलब्धता, नागरिकों के साथ विचार विमर्श, शिकायतों की प्राप्ति एवं समयबद्ध निवारण, नागरिक गण को शामिल करके कार्य निष्पादन की स्वतंत्र जांच-पड़ताल का प्रावधान जैसे उत्कृष्ठ सिद्धान्त समावेशित है। नागरिक चार्टर लोगों की सेवा के प्रति सरकार की नैतिक एवं जनतांत्रिक वचनबद्धता का प्रतिनिधित्व करता है।

2—शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि बनाये गये नागरिक चार्टर का प्रत्येक विभाग प्रचार-प्रसार करवायें और इस हेतु प्रत्येक विभाग सभी जिलाधिकारियों को इन अधिकार पत्रों की पर्याप्त मात्रा में प्रतियां इस अनुरोध के साथ भेजें कि जिलाधिकारी उनकी प्रतियाँ ब्लाकों, तहसीलों पर उपलब्ध करवायें तथा एक-एक प्रति अध्यक्ष, जिलापंचायत, स्थानीय सांसदगण, स्थानीय विधायक गण तथा मान्यता प्राप्त पत्रकारों को भी उपलब्ध करा दें। जिलाधिकारीगण उपलब्ध करायी गयी प्रतियों को जिला (शिक्षा) लाइब्रेरी, सूचना केन्द्र लाइब्रेरी इत्यादि में रखवाना सुनिश्चित करेंगे जिससे जनता को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाया जा सके।

3—उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि मा० अध्यक्ष, राजस्व परिषद तथा सदस्यगणों तथा प्रदेश के समस्त सचिव/प्रमुख सचिव द्वारा अपने भ्रमण के दौरान नागरिक चार्टर के प्रचार-प्रसार तथा लागू किये जाने वाले बिन्दुओं को देख लें। चूँकि नागरिक चार्टर की शासन में प्रभावी संवेदनशील एवं पारदर्शी प्रशासन स्थापित करने की महत्वपूर्ण भूमिका है, अतः अपेक्षा है कि उपर्युक्त व्यवस्था का गम्भीरता पूर्वक अनुपालन किया जाये।

भवदीय,
योगेन्द्र नारायण,
मुख्य सचिव।